

राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग


क्रमांक प.4(9)वित्त/आब/2001 पार्ट

जयपुर, दिनांक: 12 अक्टूबर, 2021

आदेश

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा ने अवगत कराया है कि हरियाणा राज्य के विधानसभा उप चुनाव, 2021 हेतु हरियाणा राज्य के 46-ऐलनाबाद (Ellenabad) में दिनांक 30.10.2021 को मतदान होगा। अतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 ग के प्रावधानानुसार हरियाणा राज्य की सीमा से लगते हुए राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले की सीमा के 3 किलोमीटर परिधीय क्षेत्र में दिनांक 28.10.2021 को सायं 6.00 बजे से दिनांक 30.10.2021 को सायं 6.00 बजे तक, पुनर्मतदान की स्थिति में पुनर्मतदान के दिन एवं मतगणना दिनांक 02.11.2021 को भी सूखा दिवस घोषित किया जाता है।

आज्ञा से,



(जसवंत सिंह)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके अशा.टीप संख्या प.8 (2)(22)निर्वा./2018/5222 दिनांक 09.10.2021 के संदर्भ में।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
5. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया संबंधित अधिकारियों को निर्देश प्रदान करें कि मदिरा की बिक्री, व्यक्तियों द्वारा संग्रहण तथा विवरण से संबंधित मद्य निषेध नियमों व आदशों/निर्देशों की सख्ती से पालना करें।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जयपुर।
7. तकनीकी निदेशक, (कम्प्यूटर सैल) वित्त विभाग।
8. जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़।
9. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन, बीकानेर।
10. जिला आबकारी अधिकारी, हनुमानगढ़।
11. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव